न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 218/2012 **दायरा दिनांक : 05.07.2012**

उनवान

1– हेमराज आत्मज श्री फत्तेलाल जाति धाकड निवासी कोहनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– मोहनलाल आत्मज श्री रामगोपाल जाति – धाकड

2– भूरालाल आत्मज श्री रामगोपाल जाति – धाकड

3– कन्हैयालाल आत्मज श्री रामगोपाल जाति – धाकड

4– मिश्रीलाल पुत्र श्री फत्तेलाल जाति – धाकड

5– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र फत्तेलाल जाति – धाकड (मृतक)

कायममुकामानः–

5/1– राजेश बाई बेवा राजेन्द्र प्रसाद

5/2– सविता कुमारी आयु– 14 वर्ष

5/3– अरविन्द कुमार आयु– 12 वर्ष

5/4– सुनील कुमार आयु– 10 वर्ष

नाबालिकान जर्ये वाली माता राजेश बाई बेवा राजेन्द्र प्रसाद अकवाम जाति धाकड निवासी – कोहनी तहसील छीपाबडौद, जिला बांरा राजस्थान

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बांरा राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 270/2012 **दायरा दिनांक : 28.08.2012**

उनवान

1– हेमराज आत्मज श्री फत्तेलाल जाति धाकड निवासी कोहनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– मोहनलाल आत्मज श्री रामगोपाल जाति– धाकड

2– कन्हैयालाल आत्मज श्री रामगोपाल जाति– धाकड

3– भूरालाल आत्मज श्री रामगोपाल जाति– धाकड

4– मिश्रीलाल पुत्र श्री फत्तेलाल जाति– धाकड

5– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र फत्तेलाल जाति– धाकड (मृतक)

कायममुकामानः–

5/1– राजेश बाई बेवा राजेन्द्र प्रसाद

5/2– सविता कुमारी आयु– 14 वर्ष

5/3– अरविन्द कुमार आयु– 12 वर्ष

5/4– सुनील कुमार आयु– 10 वर्ष

नाबालिकान जर्ये वाली माता राजेश बाई बेवा राजेन्द्र प्रसाद अकवाम जाति धाकड निवासी– कोहनी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा राजस्थान

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बांरा राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री भगवतीवल्लभ शर्मा एवं श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.09.2020**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या – 18/2011 निर्णय व डिकी दिनांक 26.06.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील 218/2012 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम कोहनी की खसरा नं. 60 की 4 बीघा 12 बिस्वा आराजी के मामले में 2 बीघा 10 बिस्वा उत्तर की पर रेस्पो. कम 1 व 2 वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजी के मामले मे रेस्पोडेंट कम 1 व 2 वादीगण को अतिकमी माना एवं बिना आधार के 40 वर्षो से अधिक का कब्जा मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेंट कम 1 व 2 अतिकमी होने की स्थिति में अपीलांट का वाद अन्तर्गत धारा 183

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट डिक्री होने योग्य था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी के मामले में तहरीर दिनांक 19.6.84 के आधार पर भी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता । मृतक खातेदार फत्तेलाल जो अपीलांट का पिता था उसने पारिवारिक बंटवारा तहरीर कभी आलेखित नहीं करवायी, उक्त तहरीर के आधार पर अपीलांट का विवादित आराजी में हक व अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय परित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये ।

अपील 270/2012 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आदेश एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद हेमराज बनाम मोहनलाल को जो अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत था को रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत वाद मोहनलाल बनाम भूरालाल प्रकरण संख्या 18/11 में कन्सोलीडेट किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के मामले में कोई निर्णय पारित नहीं किया और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया तथा तहरीर दिनांक 19.06.84 के आधार पर रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते । प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर रेस्पोडेंट कम 1 व 2 विवादित आराजी पर अतिक्रमी प्रमाणित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मोहनलाल ने घोषणा का वाद पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय में दावा संख्या

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

379/2009 उनवान हेमराज बनाम मोहनलाल जैरकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कन्सोलीडेट कर एक साथ निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर मोहन लाल वगैरहा ने 2 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा कर रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में एडवर्स पजेशन के आधार पर मोहनलाल को खातेदार घोषित किया है । पर्चा तनकियात में दो तनकी बनायी गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर त्रुटि की है । जबकि आर्डर 20 नियम 5 सी पी सी में स्पष्ट अंकित है कि तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2016 पेज 689 उद्धरत की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील संख्या 379/2009 के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2011 पेज 1037, आर आर डी 2011 पेज 508 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि एक दस्तावेज ए–6/3 दिनांक 19.06.84 का है जो फत्तेलाल पुत्र रामगोपाल ने लिखा है । रेस्पोडेंट ने 4 बीघा 12 बिस्वा आराजी तीनों भाइयों को दे चुका है । अधीनस्थ न्यायालय में हमने दावा पेश किया था । दावे बाबत कोई सबूत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय में दावा विड्रो कर लिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में मोहनलाल व कन्हैया लाल ने दावा किया, जो डिक्री हुआ है । खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार बनाया है । अपीलांट कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे ।

(महेन्द्र लोका)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दो तनकीयात कायम की हैं परन्तु अपना निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है । आर्डर 20 नियम 5 सी पी सी के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में आर आर टी 2016 (1) पेज 689 यहां चस्पा होती है । अतः प्रकरण में आर्डर 20 नियम 5 सी पी सी की पालना करने बाबत रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दानों अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2012 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को उचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.11.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा